विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 17.10.2017 को सिवरेज STP से निकलने वाले शोधित जल का उपयोग सिंचाई एवं कृषि कार्य में करने संबंधी कार्य योजना तैयार करने के संबंध में विचार–विमर्श हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम विकास आयुक्त द्वारा अपने मनीला भ्रमण के दौरान STP से निकलने वाले शोधित जल के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए अनुमान्य Parameters के संबंध में प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई गई।

निदेश दिया गया कि इसका अध्ययन बुडको द्वारा किया जाय एवं बुडको द्वारा तैयार किये जाने वाले STP से इसके मानकों के अनुसार सिंचाई में उपयोग हेतु जल शोधित करने के संबंध में आगामी बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय।

2. बैठक में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सिंचाई के लिए सम्भवतः कुछ स्थानों पर रैयती भूमि में Underground Pipe बिछाने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में एक कानून बनाने की आवश्यकता होगी ताकि प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान किया जा सके।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि आगामी बैठकों में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भी आमंत्रित किया जाय।

3. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि पटना सिवरेज योजना के 05 जोन का जल बादशाही नाले में जायेगा तथा दीघा जोन का जल दानापुर के पश्चिम STP में जायेगा। ऐसी स्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि बादशाही पईन के रास्ते में पटना नगर निगम एवं फुलवारीशरीफ, नगर परिषद् का कोई भी Sewerage का जल सीधे बादशाही पईन में नहीं गिरे।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि फुलवारीशरीफ, नगर परिषद् के Sewerage का जल सीधे बेऊर STP में लाने की व्यवस्था अथवा उसे दानापुर के Sewerage Scheme में जोड़ने की व्यवस्था बुडको करे और आवश्यकतानुसार अपने प्राक्कलन में इसको जोड़ लें। दीघा STP का Location तथा Discharge Point जल्द से जल्द जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराया दिया जाय ताकि वे सिंचाई का Infrastructure तैयार कर सकें।

4. बैठक में यह स्पष्ट निदेश दिया गया कि Sewerage से निकलने वाले प्रदूषित जल को किसी भी स्थिति में किसी नदी में नहीं गिरने दिया जाय। इसको STP द्वारा शोधित कर सिंचाई में उपयोग किया जाना है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा सिंचाई हेतु Infrastructure विकसित किया जायेगा तथा इन स्कीमों को राज्य योजना के अंतर्गत पूर्ण किया जायेगा। इसके लिए योजना एवं विकास

विभाग से आवश्यकतानुसार योजना उद्व्यय करा लिया जाय। यथासम्भव Strom Drainage से निकलने वाले जल का उपयोग भी सिंचाई में करने के लिए योजना बनायी जाय।

5. गत् बैठक के निर्णय के अनुसार पटना के Sewerage योजनाओं के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा एवं अन्य जगहों की योजनाओं के लिए लघु जल संसाधन विभाग द्वारा योजना कार्यान्वित कराया जायेगा।

6. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को निदेश दिया गया कि हाल ही में गंगा किनारे 451 गाँवों को ODF घोषित किया गया है। उन सभी गाँवों में जल के शोधन हेतु सिंचेवाल मॉडल का उपयोग किया जाय। साथ ही जिन क्षेत्रों में STP नहीं हो उन सभी क्षेत्रों के जल के शोधन हेतु सिंचेवाल मॉडल अपनाने की कार्रवाई की जाय एवं इसके लिए स्कीम तैयार कराया जाय।

7. यह भी निदेश दिया गया कि सिंचाई हेतु Sump बनाकर Pressurised Pipe System से जल के Transportation का स्कीम लिया जा सकता है।

8. यह भी निदेश दिया गया कि अब यह बैठक साप्ताहिक रूप से आयोजित की जाएगी।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

विश्वासभाजन,

18/10/17

(शिशिर सिन्हा),
विकास आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-06/2017 6999 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-23/10/17

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बुडको/बिहार राज्य जल पर्षद/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/10/2017

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-06/2017 6999 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-23/10/17

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/10/2017

सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।